न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/55

01. सुरताराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी ततारसर तहसील श्रीगांगानगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–16.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 31 केवाईडी का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नं. 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/2, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका वह उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदारी काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त मुरब्बा नं0 240/19 की कृषि भूमि जरिये आलोटमेन्ट ऑर्डर में प्रार्थी का नाम सूरतसिंह पुत्र मनफूलराम अंकित हो गया है तथा उस समय आधार कार्ड नहीं बनते थे इसलिए जब मेरी उपरोक्त कृषि भूमि का पट्टा जारी किया गया व खातेदारी दी गई जिसमें मुझ मिकर का नाम सूरतसिंह अंकित हो गया तथा मुझ प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी के अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबन्दी रिकार्ड में सूरतसिंह पुत्र मनफूलराम अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम सुरताराम पुत्र मनफूलराम है। प्रार्थी सुरताराम का नाम समस्त दस्तावेजो आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, परिचय पत्र इत्यादि में वास्तविक नाम सुरताराम पुत्र मनफूलराम दर्ज है कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुरताराम के स्थान पर सहवन से सूरतसिंह दर्ज हो गया चुंकि नामान्तरण दर्ज करते वक्त कोई सरकारी दस्तावेज सलंग्न नहीं होते थे। प्रार्थी का सरकारी दस्तावेजों में सुरताराम नाम दर्ज है लेकिन भूमि के राजस्व रिकार्ड में सूरतसिंह दर्ज चला आ रहा है इनके नाम रिकार्ड से विरोधाभाषी होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, बैंक के लेन देन में बार–बार बाधा उत्पन्न होती है तथा भूमि सम्बधित अन्य कार्यो में लैंड रिकार्ड से भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। इसलिए हम प्रार्थी द्वारा अपने कृषि भूमि के रिकार्ड में अपना सही एवं वास्तविक नाम जो कि सभी सरकारी दस्तावेजों में अंकित है को अपनी भूमि के राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाकर सही एवं सत्य नाम जो कि आधार कार्ड, परिवार कार्ड इत्यादि में दर्ज है वह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के नाम संशोधन एवं शुद्धी पत्र हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया था लेकिन वहां मुझे कोई न्याय नहीं मिला न ही मुझ प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन किया गया इसलिए ये संशोधन हेतु यह प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में पेश किया जा रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि खाजूवाला तहसील में होने के कारण क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील खाजूवाला का चक 31 के.वाई.डी. का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नम्बर 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/1, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में संशोधन करके प्रार्थी का वास्तविक एवं रिकार्ड नाम सूरतसिंह के स्थान पर सुरताराम दर्ज करने के आदेश करने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में राशनकार्ड, आधारकार्ड, जमाबंदी, जनआधार कार्ड, पहचानपत्र, पेन कार्ड बैंक डायरी इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 31 के.वाई.डी. का मुरब्बा नम्बर 240/19 के किला नम्बर 1 ता 20 प्रत्येक में 0.2529 है0, 21/1, 22/2, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक में 0.2276 है0 इस प्रकार कुल 25 किता में 6.1960 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सूरतसिंहं की जगह सुरताराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सूरतसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सूरतसिंहं नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सूरतसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)